उत्तर प्रदेश शासन

वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग

संख्या- 05@2018@ आर0जी0-944/दस-2018-70/2015

लखनऊः दिनांक 18 सितम्बर] 2018

<u>अधिसूचना</u>

अधिसूचना संख्या-3/2016-आर0जी0-1218/दस-2016-70/15 दिनांक 28-09-2016 तथा अधिसूचना संख्या-6/2016-आर0जी0-1524/ दस-2015-25/01 दिनांक 19-12-2016 के क्रम में श्री राज्यपाल पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) उ0प्र0 का कार्यकाल एवं अध्यक्ष सदस्य व अन्य सृजित पदों का कार्यकाल दिनांक 31-10-2018 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- आयोग दिनांक 31-10-2018 तक राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या- 05 /2018-आर0जी0-944(1) /दस-2018</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव श्री राज्यपाल उ0प्र0 लखनऊ।
(2) निबन्धक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
(4) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
(5) महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
(6) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
(7) अध्यक्ष पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) उ0प्र0।
(8) सचिव पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) उ0प्र0।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ओम प्रकाश द्विवेदी)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in